प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री राजीव गुप्ता एवं माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा

दाण्डिक अपील क्रमांक 468/1996

इंद्रजीत

- बनाम-

मध्यप्रदेश राज्य

(वर्तमान छत्तीसगढ़)

एवं

(संबद्ध दाण्डिक अपील क्रमांक 469/1996)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचार हेतु प्रस्तुत

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव गुप्ता

मै सहमत हूं।

सही/-
मुख्य न्यायाधिपति

निर्णय हेतु दिनांक 28/08/2012 को सूचीबद्घ करें।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री राजीव गुप्ता एवं माननीय न्यायाधीश श्री सुनील कुमार सिन्हा

दाण्डिक अपील क्रमांक 468/1996

अपीलार्थी : इंद्रजीत, पिता हेमलाल लोधी, उम्र 22 वर्ष, ग्राम चिंगली, थाना खैरागढ़, जिला राजनांदगांव, मध्य प्रदेश (वर्तमान छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़)

तथा

दाण्डिक अपील क्रमांक 469/1996

अपीलार्थी : छगन, पिता शंकर लोधी, उम्र 22 वर्ष, निवासी गांव

चिंगली, थाना खैरागढ़, जिला राजनांदगांव मध्य प्रदेश

(वर्तमान छत्तीसगढ़)

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> : मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान छत्तीसगढ़) द्वारा थाना

छुईखदान, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

(दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित:

अपीलार्थीगण की ओर से श्रीमती सविता तिवारी, अधिवक्ता ।

राज्य की ओर से श्री अरविंद दुबे,, पैनल अधिवक्ता ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>निर्णय</u>

(28/08/2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा द्वारा पारित किया गया—

(1) ये अपीलें सत्र विचारण क्रमांक 29/1994 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़, सत्र खण्ड–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 6 फ़रवरी, 1996 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

(2) आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास का दंड तथा 1,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, और अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 6 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है।

(3) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :—

अपीलार्थीगण ग्राम चिंगली के निवासी हैं। वे महाराष्ट्र के नागपुर में मजदूरी कर अपनी जीविका अर्जित करते थे। वे विमला बाई (मृतका) को नागपुर से ग्राम चिंगली लेकर आए थे। इस बात को लेकर पंचायत भी हुई थी, किंतु उसके बाद मृतका अपीलार्थी–छगन के साथ रहने लगी। दिनांक 19.10.1993 को ग्राम साल्हेकला के एक खुले स्थान पर उसका शव पाया गया। कोटवार ज्ञान दास (अ.सा.-1) ने एक अज्ञात व्यक्ति के संबंध में मर्ग सूचना (प्र.पी.-1) दर्ज कराई। बाद में शव की पहचान की गई। दिनांक 20.10.1993 को मृतका के शव की मृत्युसमीक्षा (प्र.पी.-7) तैयार किया गया तथा शव को शव परीक्षण हेतु भेजा गया। शव अत्यधिक सड़ा हुआ था। किसी प्रकार की अस्थि-चोट नहीं पाई गई। लगभग सभी अंग सड़ चुके थे तथा शेष बचे अंगों पर भी कोई चोट नहीं पाई गई। शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक (अ.सा.-2) ने मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण निर्धारित करना कठिन है। मृत्यु

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की अवधि के संबंध में उन्होंने बताया कि शव परीक्षण से लगभग 3 से 5 दिन पूर्व मृत्यु हुई होगी। शव परीक्षण दिनांक 21.10.1993 को किया गया। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.-6 है। आगे की विवेचना के लिए विसरा सुरक्षित रखकर रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, सागर से प्राप्त रासायनिक परीक्षण प्रतिवेदन (प्र.डी.-1) के अनुसार विसरा में कोई विषैला पदार्थ आदि नहीं पाया गया। आगे की विवेचना में अपीलार्थी छगन को अभिरक्षा में लिया गया तथा उसका साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मेमोरेंडम कथन (प्र.पी.-3) दिनांक 25.10.1993 को दर्ज किया गया, और उसके कथन के आधार पर मृतका के कुछ कपड़े जप्त किए गए, जिसका जप्ती पत्रक प्र.पी.-4 है। इसी प्रकार अपीलार्थी इंद्रजीत का मेमोरेंडम कथन (प्र.पी.-9) दिनांक 30.10.1993 को दर्ज किया गया तथा उसके कथन पर एक बेल्ट जप्त की गई, जिसका जप्ती पत्रक प्र.पी.-10 है। अभियोजन ने अलखराम (अ.सा.-5), खोमलाल (अ.सा.-7) एवं डोमर (अ.सा.-8) के साक्ष्य पर भरोसा किया, जिनके समक्ष अपीलार्थी-छगन द्वारा कथित रूप से न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की गई थी। विचारण के दौरान खोमलाल (अ.सा.-7) पक्षद्रोही हो गया तथा आलखराम (अ.सा.-5) ने अपीलार्थी-छगन द्वारा की गई कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का समर्थन नहीं किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने केवल डोमर (अ.सा.-8) के परिसाक्ष्य पर भरोसा करते हुए न्यायिकेत्तर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संस्वीकृति की एकमात्र परिस्थिति के आधार पर अपीलार्थियों को दोषसिद्ध तथा दंडित किया।

(4) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्रीमती सविता तिवारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि मानववध मृत्यु की प्रकृति से संबंधित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है; डोमर (अ.सा.-8) के समक्ष की गई कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का साक्ष्य भी डगमगाता हुआ है; अतः दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अरविंद दुबे ने इन तर्कों का विरोध करते हुए सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(6) हमने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

(7) मृतका का शव दिनांक 19.10.1993 को एक अन्य ग्राम के खुले स्थान पर पाया गया। शव का मृत्यु समीक्षा दिनांक 20.10.1993 को किया गया। शव अत्यधिक सड़े-गले अवस्था में था। डॉ. अशोक खरे ने दिनांक 21.10.1993 को शव का शव परीक्षण किया। उन्होंने कथन दिया कि शव लगभग 28 वर्ष की एक महिला का था; शव पर अकडन उपस्थित नहीं था। शव पर बड़ी संख्या में कीड़े

पाए गए। सड़न के कारण मुख, आँखें, कान, नाक तथा योनि पूर्णतः नष्ट हो चुके थे। बाल पूरी तरह झड़ चुके थे तथा त्वचा पूर्णतः सड़ चुकी थी। शरीर के लगभग सभी भागों की त्वचा पूरी तरह उतर चुकी थी। शव के शेष भागों में कीड़ों द्वारा अनेक छिद्र बना दिए गए थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शव के शेष भागों पर उन्हें कोई बाह्य चोट दिखाई नहीं दी। किसी भी अस्थि में कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया। आंतरिक परीक्षण में भी किसी प्रकार का अस्थिभंग नहीं पाया गया। मस्तिष्क तरलीकृत हो चुका था। श्वासनली कीड़ों से भरी हुई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि शव अत्यधिक सड़ा-गला होने के कारण किसी प्रकार के चोट का पता नहीं लगाया जा सका तथा वे मृत्यु का कारण और प्रकृति निर्धारित नहीं कर सके। अतः विसरा सुरक्षित रखकर न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला को आगे के परीक्षण हेतु भेजा गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक के उपर्युक्त साक्ष्य के विभिन्न कंडिकाओं पर विचार किया है। उन्होंने विसरा रिपोर्ट (प्र.डी.-1) को भी ध्यान में रखा, जिसमें किसी प्रकार का विष नहीं पाया गया, और इसके आधार पर यह निष्कर्ष दर्ज किया कि चूँकि यह आत्महत्या का मामला नहीं है, इसलिए यह मानववध का मामला है। हमारा मत है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया यह निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी साक्ष्य पर आधारित नहीं है और यह अनुचित है।

(8) अब हम न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की परिस्थिति पर विचार करेंगे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) अनेक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के संबंध में साक्ष्य ऐसे साक्षी/साक्षियों के मुख से आता है, जो निष्पक्ष प्रतीत होते हों, अभियुक्त के प्रति दूर-दूर तक शत्रुतापूर्ण न हों तथा जिनके संबंध में ऐसा कुछ भी अभिलेख पर न लाया गया हो, जिससे यह संकेत मिले कि उन्हें अभियुक्त पर असत्य कथन अधिरोपित करने की कोई मंशा या उद्देश्य है; यदि साक्षी द्वारा कथित शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध एवं निर्विवाद हों और स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हों कि अभियुक्त ही अपराध का कर्ता है तथा साक्षी द्वारा ऐसा कुछ भी छोड़ा न गया हो जो उसके विरुद्ध जाता हो; तब साक्षी के अभिसाक्ष्य को विश्वसनीयता की कसौटी पर कठोरता से परखने के पश्चात, यदि वह इस कसौटी पर खरी उतरती है, तो ऐसी न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को स्वीकार किया जा सकता है तथा उसी के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(10) ***शेख यूसुफ बनाम राज्य पश्चिम बंगाल*, AIR 2011 SC 2283** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति एक दुर्बल प्रकार का साक्ष्य है। इसे सत्य सिद्ध किया जाना आवश्यक है तथा यह स्वेच्छा से एवं स्वस्थ मानसिक अवस्था में की गई होनी चाहिए। साक्षी के शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध होने चाहिए और स्पष्ट रूप से यह दर्शाने चाहिए कि अभियुक्त ही अपराध का कर्ता है। यदि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है और इसके आधार पर दोषसिद्धि की

जा सकती है। इस संदर्भ में *राज्य राजस्थान राज्य बनाम राजा राम,* (2003) 8 **SCC** 180 तथा *कुलविंदर सिंह एवं एक अन्य बनाम राज्य हरियाणा,* (2011) 5 **SCC** 258 का भी अवलंब लिया गया है।

(11) डोमर (अ.सा.-8) ने अभिकथन दिया कि ग्राम पंचायत के बाद अपीलार्थियों को लड़की को वापस भेजने की सलाह दी गई थी। इसके पश्चात उसने अपीलार्थी–छगन को नहीं देखा। अगले दिन उसकी मुलाकात अपीलार्थी–छगन से हुई और उसने उससे लड़की के बारे में पूछा। इस पर छगन ने उसे बताया कि उसने अपीलार्थी–इंद्रजीत की सहायता से लड़की की हत्या कर दी है। डोमर (अ.सा.-8) ने आगे कहा कि उसने यह बात भुनेश्वर को बताई। प्रतिपरीक्षण में डोमर (अ.सा.-8) ने इस संबंध में पुलिस को कोई कथन देने से इनकार किया। जब उसे धारा 161 दंप्रसं के अंतर्गत दर्ज उसकी केस डायरी कथन (प्र.डी.-3) से सामना कराया गया, तब भी उसने पुलिस को ऐसा कोई कथन देना स्वीकार नहीं किया। उसने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका 4 में स्वीकार किया कि वह धनुदास के मामले में भी पुलिस साक्षी था तथा अमृतलाल के मामले में भी पुलिस साक्षी रहा है। हम उसके केस डायरी कथन से पाते हैं कि वह दिनांक 28.10.1993 को दर्ज किया गया था। उक्त कथन में उसने कहा कि उसके 3–4 दिन पूर्व न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की गई थी। उसके परियाक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि उसके अनुसार केवल अपीलार्थी–छगन ने उसके समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की थी और उसने अपीलार्थी–इंद्रजीत का

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

नाम लिया था। अतः अपीलार्थी–इंद्रजीत द्वारा कोई स्वतंत्र संस्वीकृति नहीं की गई। हम यह भी देखते हैं कि अपीलार्थी–छगन को दिनांक 25.10.1993 को पुलिस अभिरक्षा में लिया जा चुका था और उसका मेमो/प्रकटीकरण कथन दर्ज किया गया था। जब अपीलार्थी–छगन पहले से ही पुलिस अभिरक्षा में था, तब वह डोमर (अ.सा.-8) के समक्ष न्यायिकेत्तर संस्वीकृति कैसे कर सकता था, जबकि डोमर का दावा है कि यह संस्वीकृति दिनांक 28.10.1993 से 3–4 दिन पूर्व की गई थी। इसके अतिरिक्त, जब कथित संस्वीकृति डोमर (अ.सा.-8) के समक्ष की गई, तब उसने 3–4 दिनों तक यह बात क्यों छिपाए रखी, जबकि अपराध की विवेचना हेतु पुलिस दल गाँव में उपस्थित था। भुनेश्वर, जिसे कथित रूप से यह संस्वीकृति बताई गई थी, को अभियोजन ने साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं किया। डोमर (अ.सा.-8) के साक्ष्य का सम्यक विवेचन करने पर हम पाते हैं कि उसका साक्ष्य दुर्बल साक्ष्य है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) श्री दुबे ने अपीलार्थियों के कथन पर की गई प्रकटीकरण एवं जप्ती पर विशेष बल दिया है। अपीलार्थी इंद्रजीत के कथन पर जप्त की गई बेल्ट का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि अभियोजन यह स्थापित करने में असफल रहा है कि मृतका की मृत्यु मानववध की प्रकृति की थी तथा यह मृत्यु गला घोंटने से हुई, जिसमें उक्त वस्तु, जो अपीलार्थी–इंद्रजीत की बताई जाती है, का उपयोग किया गया हो। जहाँ तक अपीलार्थी–छगन के कथन पर जप्त किए गए कपड़ों का संबंध है, वह भी

उपर्युक्त विवेचना के प्रकाश में कोई विशेष महत्व नहीं रखते तथा केवल उसी आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

(13) परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में सभी परिस्थितियों का पूर्ण रूप से सिद्ध होना आवश्यक है। जो परिस्थितियाँ सिद्ध की जाती हैं, वे निर्णायक प्रकृति की एवं स्पष्ट प्रवृत्ति वाली होनी चाहिए। वे ऐसी न हों जिनका कोई अन्य संभावित स्पष्टीकरण दिया जा सके तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला पूर्ण होनी चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(14) वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई परिस्थितियाँ पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सकीं। वे निर्णायक प्रकृति की नहीं थीं और न ही उनमें कोई ऐसी प्रवृत्ति थी जो केवल अभियुक्तों के दोष की ओर ही संकेत करती हो; अपितु वे अन्य प्रकार से भी समझाई जा सकती थीं। अतः उपर्युक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम रखना हमारे लिए संभव नहीं है।

(15) उपर्युक्त कारणों के परिणामस्वरूप अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध विरचित अभियोगों से दोषमुक्त किया जाता है। यह बताया गया है कि अपीलार्थीगण जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूओं उन्मोचित किये जाते है।

सही/- **सही/-**

मुख्य न्यायाधिपति **सुनिल कुमार सिन्हा**

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By .... Vijay Kumar Sahu , Advocate